

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

जापांक 158771 /

पटना, दिनांक 05/08/13

सं0सं0-गा0वि0-6/अभि0-01-31/2011-खंड-1

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,


सभी उप विकास आयुक्त,
(नालंदा जिला को छोड़कर) ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2012-13 के विमुक्त केन्द्रांश राशि का देय अनुपातिक राज्यांश की आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) मद के तहत वित्तीय वर्ष- 2012-13 में विमुक्त केन्द्रांश की राशि के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किया गया है । लेकिन कई मामलों में आवंटनादेश के विरुद्ध राशि की निकासी ससमय नहीं की गई है।

अतः अनुरोध है कि यदि किन्हीं विशेष कारणों से आवंटित राशि की निकासी नहीं की जा सकी है तो इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए तथा राशि की निकासी नहीं किये जाने संबंधी कोषागार के प्रमाण पत्र के साथ अपना स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को विभागीय e-mail के साथ manojkumarosdrdd@gmail.com पर अविलंब भेजा जाय ।


05/08/13
(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी